न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 10/2016

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

श्रीराम पुत्र महादेवराम जाति जाट
निवासी दियावडी तहसील मुण्डवा
जिला नागौर।

राज. राज्य जरिये तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः13.08.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 153/2015 सरकार बनाम श्रीराम में निर्णय दिनांक 31.08.15 के तहत मौजा दियावडी के खसरा नं. 479 रकबा 5 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.01.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.01.16 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 153/15 सरकार बनाम श्रीराम मे पारित निर्णय दिनांक 31.08.15 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के नोटिस अकेले को दिया जाकर दिनांक 31.08.15 को तारीख पेशी दी, जिसकी सूचना अपीलांट को नही मिली जिससे अपीलांट उपस्थित नही हो सका, अपीलांट के सामने निर्णय न लिखाया न सुनाया, अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी जिससे दिनांक 31.08.15 से नकल प्राप्ति दिनांक 08.01.16 के बीच अपीलांट को जानकारी नही रही, उक्त अवधि को अपील मियाद से अलग कर अपील तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील अनुचित, विधि विरूद्व व न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है।

{2}(II)–अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर स्व. महादेवराम के तमाम संयुक्त परिवार के कोपासनरो को नोटिस देकर पुनः निर्णय करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जाने योग्य है।

{2}(III)–पत्रावली की नकल लेने पर अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि पटवारी हल्का ने अपीलांट को जानकारी दिये बिना फसल की नीलामी बताकर फसल बेचा जाना बताकर बेदखली करने के मिथ्या कागजात तैयार किये है तमाम कार्यवाही अपीलांट की अनुपस्थिति मे की गई है। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा दियावडी में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दियावडी के खसरा नंबर 479 रकबा 5 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर,
नागौर